

Form No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय साहायक कलक्टर कपासन मुकाम राजीव गांधी सेवा केन्द्र सिंहपुर

मांगीलाल

बनाम

सोहनी

किस्मा मुकदमा राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नं० 56 रान 2023

धारा 128 एल0आर0एक्ट0

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम की हुक्म
हुक्म की तारीख
में जारी हुए

26.06.2023

वकील प्रार्थी ने आज दिनांक को प्रशासन गांवों के रंग अभियान 2023 में राजीव गांधी सेवा केन्द्र सिंहपुर में हाजिर होकर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0आर0एक्ट का प्रस्तुत कर वहस एक तरफा बाबत निवेदन किया जो स्वीकार किया जाकर वहस सुनी गई। जिसमें वकील प्रार्थी ने बताया की मामला पत्थरगढ़ी का है, जिसमें प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहते है, वकील प्रार्थी ने बताया कि मौजा बनाकियाखुर्द पटवार हल्का सिंहपुर तहसील कपासन में स्थित खाता संख्या 95 के हाल आराजी संख्या 1100 रकबा 0.82 हैक्ट0 व आराजी संख्या 349 रकबा 0.40 हैक्ट0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.22 हैक्ट0, कृषि भूमि के प्रार्थी सहखातेदार काश्तकार है, प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहता है। चूंकि पक्षकारान के आराजीयात के मध्य निशानात नहीं होने से प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य विवाद बना रहता है, अप्रार्थीगण प्रार्थी की आराजीयात में अन्दर घुस जाते है व घुसने का प्रयास करते है। जिससे पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराया जाना आवश्यक है। सबुत में हाल जमाबन्दी की नकल पेश की है। अतः प्रार्थी की आराजीयात की पुख्ता पत्थरगढ़ी कराये जाने का आदेश फरमाया जावे।

हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी को सुना। प्रार्थी अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी/सीमांकन कराना चाहते है, जिससे पक्षकारान के मध्य हमेशा विवाद नहीं रहें व विवाद समाप्त हो जावे। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौजा बनाकियाखुर्द पटवार हल्का सिंहपुर तहसील कपासन में स्थित खाता संख्या 95 के हाल आराजी संख्या 1100 रकबा 0.82 हैक्ट0 व आराजी संख्या 349 रकबा 0.40 हैक्ट0 कुल किता 02 कुल रकबा 1.22 हैक्ट0, कृषि भूमि की फरीकेन मुकदमा को सूचित किया जाकर उनकी उपरिथति में कब्जे में बिना किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप किये व किसी न्यायालय का रथगन न हो तो एवं मौके पर फसल खडी न हो तो बन्दोबस्ती नक्शे अनुसार नपती की जाकर सीमा चिन्ह स्थापित कर सीमांकन (पत्थरगढ़ी) किया जावे एवं पर्चा मौका एवं मौका नक्शा 15 दिवस में प्रस्तुत करे। सीमांकन (पत्थरगढ़ी) हेतु तहसीलदार कपासन को 1000/- रूपये शुल्क पर मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाता है, कमिश्नरी शुल्क का रिकार्ड विधिवत संधारित किया जाकर पालना रिपोर्ट मय पर्चा मौका आगामी 15 दिवस में आवश्यक रूप से पेश करे तथा कमिश्नरी फीस प्रार्थी से मौके पर प्राप्त करें। तहसीलदार कपासन को तहरीर जारी करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

(अर्चना बुगालिया)

उपखण्ड अधिकारी, कपासन
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

